न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2025/172 दर्ज तिथिः—05.05.2025

1. लाधूराम पुत्र अमराराम
   जाति मेघवाल निवासी गुन्देलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र कुंभाराम
2. लाछीदेवी पत्नी कुंभाराम
3. पुनमा पुत्र अल्हा
   जाति मेघवाल निवासी गुन्देलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. मैनेजर एसबीआई एडीबी बैंक गुड़ामालानी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानीी

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री सुखराम विश्नोई
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—22.08.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 4 हाल खसरा नम्बर 163/1/4.5325 है0, 211/6.1188 है0 में प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार मौजा गुन्देलपुरा तहसील गुड़ामालानी एवं हाल आराजी खाता संख्या 7 हाल खसरा नम्बर 205/1/0.9308 है0, 623/0.0971 है0, 624/0. 6394 है0 में प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार मौजा पीपराली तहसील गुड़ामालानी में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072—2075 में खाता संख्या 04 एवं 07 में प्रार्थी का नाम हुकमा उर्फ लाधू पुत्र अमरा अंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:23:04 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम लाधूराम पुत्र अमराराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम लाधूराम पुत्र अमराराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लाधूराम पुत्र अमराराम के स्थान पर हुकमा उर्फ लाधू पुत्र अमरा दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में हुकमा उर्फ लाधू पुत्र अमरा दुरुस्त कर सही नाम लाधूराम पुत्र अमराराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072–2075 के नवीन खाता संख्या 04 एवं 07 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता संख्या	खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा	मौजा
04	हुकमा उर्फ लाधू पुत्र अमरा	1 / 3	163 / 1 211 / 1	4.5325 है0 6.1188 है0	गुन्देलपुरा
07	हुकमा उर्फ लाधू पुत्र अमरा	1 / 3	205 / 1 623 624	0.9308 है0 0.0971 है0 0.6394 है0	पीपराली

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
आधार कार्ड	लाधूराम पुत्र अमराराम
बैंक डायरी	लाधूराम पुत्र अमराराम
जनाधार कार्ड	लाधूराम पुत्र अमराराम
पहचान पत्र	लाधूराम पुत्र अमराराम

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:23:04 IST
Reason: SelfAttested

1. *ग्राम गुन्देलपुरा के खसरा संख्या 163/1, 211 में दर्ज नाम हुकमा उर्फ लाधू पुत्र अमरा तथा लाधूराम पुत्र अमराराम एक ही व्यक्ति हैं।*
2. *प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज अनुसार हुकमा उर्फ लाधू पुत्र अमरा के स्थान पर सही नाम वर्तमान दस्तावेज अनुसार लाधूराम पुत्र अमराराम दर्ज किया जाना उचित है।*
3. *ग्राम में पूछताछ अनुसार व प्रचलित नाम हुकमा उर्फ लाधू का सही नाम लाधूराम पुत्र अमराराम ही है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट हुकमा उर्फ लाधु व लाधूराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम लाधूराम पुत्र अमराराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **हुकमा उर्फ लाधू पुत्र अमरा** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **लाधूराम पुत्र अमराराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:23:04 IST
Reason: SelfAttested